कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 22/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 21.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट/सर्विलांस व थाना गहमर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.07.2024 को हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आलाकत्ल के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत स्वाट/सर्विलांस व थाना गहमर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.07.2024 को थाना गहमर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवकली में मृतक विनोद कुमार गुप्ता पुत्र बगेदू गुप्ता मूल निवासी रेवतीपुर हालपता निवासी ग्राम देवकली थाना गहमर में मृतक के निवास स्थान में लगी आरा मशीन के समीप हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को दिनांक **20.07.2024** को स्वाट/सर्विलांस व थाना गहमर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा समय करीब **18.30 बजे ग्राम देवकली** थाना गहमर जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की निशादेही पर 01 अदद बाँस का डंण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ करने पर भोला राजभर ने बताया कि विनोद कुमार गुप्ता जमीन की खरीद-ब्रिकी कर दलाली का कार्य करता था। मैंने दिनांक 15.07.2024 को 14 लाख रुपये में जमीन की रजिस्ट्री करायी थी और इसमें मेरा 01 लाख कमीशन बना था। परन्तु मुझे पैसा नहीं मिला। उसी पैसे को लेने के लिए मैं विनोद के घर गया। परन्तु विनोद ने मुझे पैसे देने से इन्कार कर दिया और मुझे गाली-गुप्ता देने लगे। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने विनोद पर डण्डे से प्रहार कर दिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम-पताः-

01. भोला राजभर पुत्र चन्द्रमा राजभर निवासी भदौरा थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र 46 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास— मु0अ0सं0 109/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना गहमर जनपद गाजीपुर

बरामदगीः

1. एक अदद बाँस का डण्डा (आलाकत्ल)

02. **थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.07.2024 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में मामूर था कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 109 बी0एन0एस0 थाना करीमुद्दीनपुर से सम्बन्धित वांछित इनामिया अभियुक्त श्रीधर वर्मा पुत्र नन्दलाल वर्मा निवासी ग्राम करीमुद्दीनपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को काली माता मन्दिर बहद ग्राम करीमुद्दीनपुर से समय करीब 09.22 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल अपने आरओ प्लाण्ट की दुकान स्टेशन रोड करीमुद्दीनपुर पर छिपाया है, जिसकी निशादेही पर दुकान से घटना में प्रयुक्त.32 बोर पिस्टल बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त श्रीधर वर्मा आरओ प्लाण्ट चलाता है। घटना से दो दिन पूर्व रात्रि में पानी पहुँचाने के दौरान रास्ते में मजरूब के भाई /मुकदमा वादी अमित कुमार राय को आरओ पानी लदी मोटर साईकिल सट जाने से दोनों के बीच में विवाद हुआ था उसी विवाद को लेकर दिनांक 18.07.2024 को शाम 18.00 बजे अभियुक्त श्रीधर वर्मा मजरूब ज्ञानेन्द्र राय के घर पहुंचा और पुनः वाद विवाद होने पर उसने अपनी अवैध पिस्टल से गोली मार दिया जिससे मजरूब ज्ञानेन्द्र राय घायल हो गया और अभियुक्त श्रीधर वर्मा मौके से पिस्टल लेकर फरार हो गया था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1.श्रीधर वर्मा पुत्र नन्दलाल वर्मा निवासी ग्राम करीमुद्दीनपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 131/2016 धारा 307,506 भादवि थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 07/2019 धारा 323,504,506 भादवि थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर।
3. मु0अ0सं0 102/2019 धारा 504,506 भादवि थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर।
4. मु0अ0सं0 107/2024 धारा 109 बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः-

1. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर